



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-641

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 321075 दिनांक 26/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Kailash Meena S/o KRISHAN MEENA एवं Om Prakash Meena S/o Shri Krishan Meena एवं Ramphool Meena S/o SHRI KRISHAN MEENA	श्री किशनलाल पुत्र श्री भौरीलाल	9/AD/57	50.00 SQ. METER	JDA	RING ROAD PROJECT (ZONE-09) Sector/Block-A	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	जविप्रा की रिग राड परियोजना के भूखण्ड संख्या 9/ए.डी/57 क्षेत्रफल 12.5 वर्गमीटर की लीजडीड डी-810 दिनांक 15.06.2012 को श्री किशनलाल पुत्र श्री भौरीलाल के नाम से जारी किया गया। तत्पश्चात उक्त रजिस्टर्ड पैट्रिक सम्पत्ति हक त्याग क्षेत्रफल 50.00 वर्गमीटर का पत्र दिनांक 02.02.2026 को श्रीमती गोपाली देवी मीणा पत्नि स्वं श्री किशन लाल उर्फ श्री किशन एवं श्रीमती मंगती देवी पुत्री श्री स्वं श्री किशन लाल उर्फ श्री किशन के द्वारा श्री कैलाश मीना , श्री ओमप्रकाश मीना एवं श्री



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

रामफूल मीना
पुत्रान् श्री स्वं श्री
किशन लाल उर्फ
श्री किशन के हक
में किया गया।
दिनांक
16.08.2023 को
मूल भूखण्ड
स्वामी श्री
किशनलाल पत्र श्री
भौरीलाल का
निधन हो गया।
प्रकरण मृत्यू से
संबंधित होने के
कारण सार्वजनिक
विज्ञप्ति का
प्रकाशन करवाया
जाना अपेक्षित है।
आवेदिका द्वारा
उक्त भूखण्ड का
लीजहोल्ड से
फ्री-होल्ड पट्टा
विलेख जारी किये
जाने हेतु आवेदन
किया गया है।
अतः पत्रावली
अवलोकनार्थ एवं
आदेशार्थ सादर
प्रस्तुत है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Kailash Meena S/o KRISHAN MEENA एवं Om Prakash Meena S/o Shri Krishan Meena एवं Ramphool Meena S/o SHRI KRISHAN MEENA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।